



आजादी का
अमृत महोत्सव



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

रक्षा सम्पदा भवन
उलान बाटर मार्ग, दिल्ली छावनी-110010
ई-मेल: rajbhasha-dgde@gov.in एवं
dgdehindi2013@gmail.com



रक्षा सम्पदा संगठन
DEFENCE ESTATES ORGANIZATION

सं. 53/राजभाषा/रक्षा सम्पदा (60696)

दिनांक 04 जनवरी, 2022

विषय: महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक के कार्यवृत्त।

कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए महानिदेशालय की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 27 दिसंबर, 2021 को आभासी (वर्चुअल) आयोजित की गई। तदनुसार महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित बैठक संबंधी कार्यसूची पर मदवार निम्नलिखित कार्यवृत्त जारी किए जाते हैं:-

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि -

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक, जिसका आयोजन 16 सितंबर, 2021 को वर्चुअल रूप में किया गया था, के कार्यवृत्त सभी अधिकारियों को भेजे गए थे। उनकी ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त कार्यवृत्त पर सभी की सहमति की पुष्टि की जाती है। **(समिति सूचनार्थ)**

2. महानिदेशालय में राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी -

राजभाषा संबंधी अनेक गतिविधियों में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन एवं इन-हाउस हिन्दी पत्रिका 'सम्पदा भारती' के 14वें अंक का महानिदेशक महोदय द्वारा विधिवत वर्चुअल विमोचन विशेष उल्लेखनीय रहे। दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2021 तक आयोजित हिन्दी पखवाड़े में लगभग 80 अधिकारियों/कार्मिकों ने भाग लिया और 17 पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष भर में हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले 01 अधिकारी और 06 कर्मचारियों को भी 'हिन्दी प्रोत्साहन योजना' के तहत पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा हिन्दी प्रचार-प्रसार से संबंधी एक अन्य महत्वपूर्ण पहल राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वाराणसी में 13 से 14 नवंबर, 2021 को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में प्रथम 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' का आयोजन रहा। महानिदेशालय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए।

दिनांक 13 दिसंबर, 2021 को 'छठे रक्षा सम्पदा दिवस व्याख्यान' अवसर पर श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग द्वारा दिया गया व्याख्यान हो अथवा 16 दिसंबर, 2021 को आयोजित 'रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह' हो, दोनों समारोहों में सभी गतिविधियां हिन्दी में आयोजित की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा दिया गया अतिथि व्याख्यान,

विषय:

महानिदेशक महोदय का स्वागत उदबोधन एवं वरिष्ठ अपर महानिदेशक महोदया का धन्यवाद ज्ञापन। इन सभी के व्याख्यानों की भाषा सरल, सुस्पष्ट और ओज पूर्ण विचारों की झलक दे रही थी। उद्घोषक के रूप में अपर महानिदेशक, अधिग्रहण/भूमि द्वारा सरल हिन्दी में जटिल तथ्यों की व्याख्या भी विशेष उल्लेखनीय रही। वार्षिक कार्यक्रम में उल्लेखित 12प्र में प्रचार एवं प्रसार भी महत्वपूर्ण कदम है जिसका शत-प्रतिशत अनुपालन इन समारोहों में किया गया।

इन प्रत्यक्ष गतिविधियों के अलावा महानिदेशालय में राजभाषायी कामकाज में और तेजी लाने के प्रयास रूप में महानिदेशक, रक्षा सम्पदा द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अनुभागों के हिन्दी कार्य निष्पादन संबंधी निर्देश जारी किए गए। ये निर्देश इस तिमाही में राजभाषा अनुभाग द्वारा महानिदेशालय के अनुभागों के राजभाषायी निरीक्षण पश्चात उनके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत जारी हुए। इनके आधार पर एक प्रोफ़ार्मा सभी अनुभागों को वितरित किया गया। अनुभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार महानिदेशालय में हिन्दी पत्राचार स्थिति बढ़ाने की दिशा में हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी इनमें और तेजी लाई जानी अपेक्षित है। यह प्रोफ़ार्मा तिमाही प्रगति रिपोर्ट से अलग है। इसमें माहवार आधार पर अनुभाग डाटा भरा जाएगा। यह प्रोफ़ार्मा निरीक्षण संबंधी अनेक व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

(कार्वाई: सभी अनुभाग प्रभारी / समिति सूचनार्थ)

3. महानिदेशालय का राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण -

भारत सरकार की डिजिटलीकरण नीति में राजभाषा संबंधी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर महानिदेशालय का पंजीकरण कराने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए कार्यालय का कोड जनरेट किया जाएगा। इस तरह से महानिदेशालय भी राजभाषा विभाग की सूचना प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों की भाँति राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपनी सामग्री अपलोड करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे शब्दों में, महानिदेशालय की राजभाषा संबंधी गतिविधियां राजभाषा विभाग के समक्ष सुगमता से प्रस्तुत की जा सकेंगी जिससे राजभाषा पुरस्कारों हेतु नामांकन तथा 'सम्पदा भारती' के ऑनलाइन प्रकाशन से पत्रिका हेतु विस्तृत मंच उपलब्ध कराना और सरल हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आरटीआई अधिनियम 2005 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस तिमाही से राजभाषायी कामकाज संबंधी सभी गतिविधियों यथा अधीनस्थ कार्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट, महानिदेशालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes) इत्यादि महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। उक्त प्रक्रिया संबंधी इन समस्त तकनीकी प्रक्रियाओं का निर्वहन सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा किया जाएगा।

(कार्वाई: राजभाषा अनुभाग/सूचना प्रौद्योगिकी सेल)

4. संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में निदेशालय संबंधी अनुपूरक पृष्ठ संलग्न किया जाना -

ज्ञातव्य है कि संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में निरीक्षण स्तर रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एवं संबंधित निरीक्षणाधीन कार्यालय का रहता है। इससे निदेशालय, जो छावनी परिषद कार्यालयों और रक्षा सम्पदा कार्यालयों के नियंत्रक कार्यालय हैं, की भागीदारी उपरोक्त निरीक्षण प्रश्नावली में सुनिश्चित नहीं हो पाती। रक्षा सम्पदा महानिदेशालय (रक्षा सम्पदा

—८५—

संगठन मुख्यालय) के अधीन 06 कमान हैं जो सीधे 104 कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं। उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में निदेशालयों से संबंधित अनुपूरक पृष्ठ संलग्न करने के प्रस्ताव को भी महानिदेशक महोदय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

निदेशालय स्तर पर इन अनुपूरक पृष्ठों पर कमान में राजभाषा के लिए नामित निदेशक, रक्षा सम्पदा के हस्ताक्षर वैसे ही अपेक्षित होंगे जैसे कि मुख्यालय से संबंधित पृष्ठों पर वरिष्ठ अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक (जिन्हें राजभाषायी दायित्व सौंपा गया है) के हस्ताक्षर होते हैं तथा संबंधित अनुलग्नक संलग्न किए जाते हैं। हालांकि माननीय समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान कमान स्तर के निदेशक भी शामिल होते हैं, निरीक्षण प्रश्नावली में निदेशालय के पृष्ठ जुड़ जाने से उनकी भागीदारी और प्रत्यक्ष रूप से उभर कर सामने आ पाएगी। इस प्रक्रिया से निदेशालयों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रभावी मॉनिटरिंग और सुगम हो सकेगी तथा रक्षा सम्पदा संगठन के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति से रक्षा मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भी अवगत कराया जा सकेगा। दूसरे शब्दों में, व्यापक मंच पर संगठन की राजभाषायी उपलब्धियां प्रदर्शित होने से कार्यालयों की राजभाषा पुरस्कारों के लिए भागीदारी नामांकन बढ़ाए जा सकेंगे। (कार्वाई: राजभाषा अनुभाग : विस्तृत जानकारी संबंधी इस आशय का एक पत्र सभी रक्षा सम्पदा निदेशालयों की सूचना एवं आवश्यक कार्वाई हेतु जारी किया जाएगा।)

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

चारू तिवारी
(चारू तिवारी)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कृते महानिदेशक, रक्षा सम्पदा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य

सभी रक्षा सम्पदा निदेशालय: उपरोक्त मद सं. 4 के अनुपालन हेतु।